गांधी स्मारक निधि का मासिक मुखपत्र

संस्थाकुल

सितम्बर, 2023 वर्ष – 54 अंक – 6

वार्षिक सहयोग राशि : रु. 20.00
एक प्रति : रु. 2.00
कुल पृष्ठ : 12

साध्य–साधन संबंध

आचार्य विनोबा

भलाई की राह पर चलने की शिक्षा अनेक सत्पुरुषों ने दी है, लेकिन मानव को अभी पूरा यकीन नहीं हुआ है कि भलाई से भला होता ही है। वह अभी तक प्रयोग कर रहा है। देखता है कि क्या बुराई बोने से भी भला नहीं उग सकता ? बबूल बोने से आम और आम बोने से बबूल उगेगा, ऐसी शंका तो उसके मन में नहीं आती। शायद पहले के जमाने में यह शंका भी उसको रही होगी; लेकिन अब तो भौतिक सृष्टि में 'यथा बीज तथा फल' वाला न्याय उसको जंच गया है। फिर भी नैतिक सृष्टि में अब तक उस न्याय के विषय में उसे शंका है। साधारण तौर पर भलाई से भला होता है, यह उसने पाया है। लेकिन खालिस भलाई लाभदायी हो सकती है, ऐसा निर्णय अभी उसके पास नहीं है।

दूसरे कुछ लोगों को खालिस भलाई मंजूर है, लेकिन निजी जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध नीति बरतनी चाहिए, उससे मोक्ष तक पा सकते हैं; लेकिन सामाजिक जीवन में भलाई के साथ बुराई का कुछ मिश्रण किये बिना नहीं चलेगा, ऐसा उनका खयाल है। सत्य और असत्य के मिश्रण पर दुनिया टिकती है, ऐसा यह विचार है। गांधीजी ने इसको कभी नहीं माना और सत्य, अहिंसा आदि मूलभूत सिद्धांतों का अमल सामाजिक तौर पर हमसे करवाया, जिसके फलस्वरूप एक किस्म का स्वराज्य भी हमने पाया है। जिस योग्यता का हमारा अमल था उस योग्यता का हमारा यह स्वराज्य है। उसके लिए वे सिद्धांत जिम्मेवार नहीं हैं; हमारा अमल जिम्मेवार है। एक त्रिकोण में जो सिद्धांत साबित होता है वह सब त्रिकोणों को लागू होता है। व्यक्ति के लिए अगर शुद्ध नीति कल्याणकारी है, तो समाज के लिए भी वह वैसी ही कल्याणकारी होनी चाहिए।

क्रान्तिदर्शी
आचार्य विनोबा जयंती : 11 सितम्बर
शत्–शत् वंदन!

कुछ लोगों का खयाल है कि सत्य की कसौटी पर अपने उद्देश्यों को कस लें तो बस है। फिर साधन कैसे भी हों, चल जायेंगे। लेकिन गांधीजी ने इस विचार का हमेशा विरोध किया है। वे कहते थे कि स्वराज्य तो सत्यमय साधनों से ही मिल सकता है। शुद्ध साधनों से प्राप्त किया हुआ स्वराज्य ही सच्चा स्वराज्य होगा। साधक को साध्य की अपेक्षा साधन के बारे में ही अधिक सोचना चाहिए। साधन की जहां पराकाष्ठा होती है, वहीं साध्य का दर्शन होता है। इसलिए साध्य और साधन का भेद भी काल्पनिक है। साधनों से साध्य हासिल होता है इतना ही नहीं, बल्कि उसका रूप भी साधनों पर निर्भर रहता है। वैसे, हर एक को अपना उद्देश्य या मकसद अच्छा ही लगता है। इसलिए अच्छे मकसद का दावा कोई खास कीमत नहीं रखता। साध्य–साधनों में विसंगति नहीं होनी चाहिए, यह विचार वैसे नया नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग जिस बड़े पैमाने पर गांधीजी ने हिंदुस्तान में किया, वह बेमिसाल है।

दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि सचाई और भलाई का आग्रह तो अच्छा है लेकिन हर हालत में क्रियाशील रहने

का महत्त्व अधिक है। अगर भलाई रखने के प्रयत्न में क्रियाशीलता में बाधा आती है तो भलाई का आग्रह कुछ ढीला करके या उस आदर्श से कुछ नीचे उतर कर, क्रियाशील रहना चाहिए, निष्क्रिय हरगिज नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह भी एक मोह है। जेल में जब लोगों को अधिक दिन तक रहना पड़ता था, तो उसको 'जेल में सड़ना' नाम दिया जाता था। तब गांधीजी समझाते थे कि शुद्ध पुरुष की निष्क्रियता में भी महान शक्ति होती है – गीता ने अपनी अनुपम भाषा में इसी को 'अकर्म में कर्म' कहा है। क्रियाशीलता निःसंशय महान है, लेकिन सचाई और भलाई उससे भी बढ़कर है। विशेष परिस्थिति में निष्क्रिय भी रह सकते हैं, लेकिन सचाई को कभी छोड़ नहीं सकते।

कुछ लोग, जो अपने को व्यवहारवादी कहते हैं, सचाई पसंद करते हैं; लेकिन एकपक्षी सचाई में खतरा देखते हैं। कहते हैं कि सामनेवाला अगर असत्य का उपयोग करता है, हिंसा करता है, तो हम ही सत्य और अहिंसा पर डटे रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा। वे लोग वास्तव में सचाई का मूल्य ही नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसी दलील नहीं करते। हमारे प्रतिपक्षी भूखे रहते हैं तो हम ही क्यों खायें, ऐसी दलील वे नहीं करते। जानते हैं कि जो खायेगा, वह ताकत पायेगा। इसका प्रतिपक्षी से कोई संबंध नहीं है। खाना तो एकपक्षी मंजूर है, लेकिन एकपक्षी सचाई, प्रीति मंजूर नहीं है। इसका क्या अर्थ है ? सामनेवाला जैसा होगा वैसे हम बनेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि वह जैसा हमें नचायेगा वैसे हम नाचेंगे। आरंभशक्ति या पहल (इनीशिएटिव) हमने उसके हाथ में सौंप दी। यह पुरुषार्थहीन विचार है और उससे एक दुष्चक्र तैयार होता है। दुर्जनता का एक सिलसिला जारी है। उसको तोड़ना है तो हिम्मत करनी चाहिए। और निष्ठापूर्वक, परिणाम का हिसाब लगाये बगैर, प्रेम करना चाहिए, उदारता रखनी चाहिए। आखिर सत्य, प्रेम और सज्जनता ही भावरूप चीजें हैं। असत्यादि अभाव रूप हैं। प्रकाश और अंधकार का यह झगड़ा है, उसमें प्रकाश को डर कैसा ?

यह है सत्याग्रह की विचार–सरणी, जैसी कि मैं समझा हूं। इसी में सबका भला है, इसलिए इसको सर्वोदय की विचार–सरणी भी कहते हैं।

(विनोबा साहित्य : खण्ड–16, पृष्ठ 13–15)

मानवीय विकास के क्रम में विकसित सबसे खतरनाक संस्था है – सरकार!

कुमार प्रशान्त

आज वह सब कुछ सत्ता की मुट्ठी में है, जिसे सत्ता की मुट्ठी खोलने के लिए बनाया, चलाया व संयोजित किया गया था। हवा में बात पहले से थी। इस सत्ता का पर्यावरण इतना जहरीला व घृणा से भरा है, इसका आकलन करने में हम चूक गए। हालांकि विनोबा ने बहुत गंभीरता से हमें बारंबार समझाया था : मानवीय विकास के क्रम में विकसित हुई सबसे खतरनाक संस्था है–सरकार! यह जितनी मजबूत होती जाती है, समाज उतना ही गुलाम होता जाता है। हम यह जानते थे, समझते भी थे और समझाते भी रहे थे लेकिन आग को हम जानते भी हैं, उससे सबको सावधान भी करते हैं लेकिन जब हवा के पंखों पर सवार वही आग धू–धू कर फैलती है, सब कुछ भस्म करती है तब हम किसी हद तक स्तब्ध देखते रह जाते हैं।

ऐसा ही हुआ है बनारस में। कभी जिसे दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर सामान सहित रेलगाड़ी से उठा फेंका गया था, उसके लोगों को 130 साल बाद भारत के बनारस के राजघाट पर सामान सहित उठा फेंका गया है। अब जो बचा है वह उसकी निगाह में मलबा है, हमारी निगाह में जैसे हवन–कुंड है।

सर्वोदय आंदोलन व विचार की शीर्ष संस्था सर्व सेवा संघ का राजघाट परिसर बना कोई 62 साल पहले था जब आज के राजनीतिक विदूषकों तथा प्रशासन की कठपुतलियों में से अधिकांश का जन्म भी नहीं हुआ होगा।

बात तब की है जब गांधी के हत्यारों से, गांधी की थाती बचा कर देश को सौंपने के लिए विनोबा भावे ग्रामस्वराज्य का अपना दर्शन व कार्यक्रम लेकर सारे देश को जगाने में लगे थे। हमारी आजादी के अथक योद्धा, सेनापति व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (ऐसा हम देश के दूसरे किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह सकते हैं।) व उनकी सरकार भले विनोबा की सिपाही न रही हो, उनकी समर्थक तो जरूर थी। उनके काम के महत्व को जानती व मानती थी, सो जितनी संभव हो, उतनी सुविधा देती रहती थी। आंदोलन को बनारस में ऐसा एक केंद्र बनाने की जरूरत महसूस हुई जहां कार्यकर्ता रहें भी, काम भी करें; सर्वोदय दर्शन का साहित्य बने भी, प्रकाशित भी हो तथा लोगों तक पहुंचाया भी जाए। जरूरत जरूरी थी, सो सरकार को मान्य हुई और गंगा किनारे की अनुपयोगी पड़ी कोई 13 एकड़ जमीन का टुकड़ा खरीदा गया। जमीन रेलवे की थी, सो रेलमंत्री के विशेष आदेश से यह सौदा हुआ। सर्व सेवा संघ ने कोई 35 हजार रुपये भारत सरकार को देकर यह रजिस्ट्री करवाई। फिर मकानात आदि बने, सर्व सेवा संघ प्रकाशन शुरू हुआ। यह सारा कुछ सरकारी कागजात में भी और हमारे कागजात में भी दर्ज है।

जनांदोलन का तर्क ही ऐसा है कि उसकी गति से जुड़े लोग, उनकी गतिविधियां व हलचलें समुद्री ज्वार–भाटे की तरह या संगीत के आरोह–अवरोह की तरह चलती हैं। देखने की बात इतनी ही होती है कि जिन आदर्शों के लिए गांधी–विनोबा–जयप्रकाश चले–मरे, उनके पैदल सिपाही उन आदर्शों से भटक तो नहीं रहे, किसी दूसरी दिशा में चल तो नहीं पड़े ? गांधी के लोगों में भी कमियां–कमजोरियां रही हैं, बेईमानी ना के बराबर रही है। इसलिए हमारे लिए सब अपने हो जाते हैं, हम सबके लिए पराये ही रहते हैं। 1975 में जब आपातकाल लगा कर 75 की उम्र छूते जयप्रकाश को गिरफ्तार किया गया, जब विनोबा के पवनार आश्रम में पुलिस की दबिश पड़ी और उनकी पत्रिका "मैत्री" को पुलिस ने जब्त कर लिया, तब हमें दोस्तों के पराये होने का तीखा अहसास हुआ। हम सोते से जागे कि सत्ता का अपना कु–चरित्र होता है जो गांधी–गोडसे में फर्क नहीं करता है। सत्ता व सत्याग्रह का यह जटिल रिश्ता सुलझाने के लिए तब जयप्रकाश ने लोक व तंत्र की बराबर की साझेदारी से चलने वाले लोकतंत्र की परिकल्पना देश के सामने रखी थी। लेकिन सत्ता को साझेदारी कबूल नहीं होती है।

फिर सत्ता की एक दूसरी परिकल्पना भी है जो सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखकर ही जागती व सोती है। यह फासीवाद है। आज दिल्ली में ऐसी ही सत्ता का बोलबाला है। उसे पता है कि जैसी सर्वसत्ता हम चाहते हैं वह गांधी के रहते संभव ही नहीं है। सावरकर इस नतीजे पर पहुंचे थे और इसलिए गुलामी खत्म करने की वीरता नहीं, गांधी को खत्म करने की कायरता उन्होंने चुनी व कुछ युवकों को उन्मत्त कर, गांधी की हत्या करवाई। गांधी तो मारे गए, उनका विचार बचा रहा। वह बचा है, बचा रहेगा। इससे सावरकरवादी आशंकित हैं कि गांधी कहीं भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्वरूप में बचे रह गए तो उनका ज्वार लौट सकता है। और वह लौटा तो कायरता–क्रूरता–छद्म का उनका यह पूरा दर्शन बह–ढह जाएगा। इसलिए गांधी पर लगातार हमला है। गांधी की हत्या करते जिनके हाथ नहीं कांपे, कैसी विडंबना है कि वे ही इस बात से सबसे अधिक चिंतित हैं कि गांधी के संस्थान, गांधी की स्मृतियां, गांधी के लोग कैसे सुरक्षित रहें ! इसलिए खोजा यह जा रहा है कि गांधी वालों की कमजोर कड़ियां कौन हैं, कहां हैं और वे कैसे अपने साथ किए जाएं। इसलिए गांधी–संस्थानों पर कब्जा करने की मुहिम चल रही है।

हम अपनी कमजोरियां जानते हैं। विचार की समझ, व्यवहार की कमजोरियां, साहस की चूक तथा संकल्प की गरीबी से हम सब भी उसी तरह ग्रस्त हैं जिस तरह मनुष्य होता है। गांधी ने ऐसी ही माटी से वीर बनाए थे; विनोबा ने ऐसे ही लोगों में ग्रामस्वराज्य का संकल्प जगाया था; जयप्रकाश ने इन्हें ही जोड़ कर सत्ता की तानाशाही को भू–लुंठित किया था – बदले की किसी भावना से नहीं, क्रांति के संकल्प से किया था। इसलिए हम आम लोगों में छिपी संभावनाओं को जानते हैं। इसलिए हम कमजोर भले हों, गांधी–विनोबा–जयप्रकाश से धोखा नहीं करते। यही सावरकर वालों के छूंछे क्रोध का कारण है। इसलिए हम उनके क्रोध के सामने हैं, इसलिए हम उनके क्रोध का सामना कर रहे हैं।

बनारस में हमारा परिसर हथिया कर उन्हें आज जीत➪

सर्व सेवा संघ की जमीन पर अवैध सरकारी कब्जे की अन्तरकथा

जगदीप एस. छोकर*

भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को आगे कर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की मदद से प्रतिष्ठित गांधीवादी संस्था अखिल भारत सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर पर कब्जा कर लिया। वाराणसी में 22 जुलाई, 2023 को इस घटना को जिस तरह अंजाम दिया गया, उसे जबरन अवैध कब्जा करना ही कहा जा सकता है, क्योंकि वह जमीन कानूनी रूप से सर्व सेवा संघ की है। परिसर के सभी रहिवासियों को बाहर निकाल दिया गया और सरकारी कार्रवाई का विरोध कर रहे आठ लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

22 जुलाई की घटना देश की आजादी के बाद शुरू हुई एक लंबी और जटिल कहानी का अंत था, जिसे तीन चरणों में बांटा जा सकता है– 1948 से 2006, 2007 से 2022 और जनवरी 2023 से अभी तक। इस पूरे घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद भारतीय चेतना में गांधीवादी संस्थाओं को जो जगह मयस्सर हुई, यह उसपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है।

पहला चरण : 1948–2006

❖ अप्रैल 1948 : आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके दर्शन के प्रचार–प्रसार के लिए अखिल भारत सर्व सेवा संघ की स्थापना की। रचनात्मक कार्यों में जुटीं पांच संस्थाओं –अखिल भारत चर्खा संघ, अखिल भारत ग्रामोद्योग संघ, अखिल भारत गौसेवा संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ और महारोगी सेवा मंडल को इसमें मिला दिया गया। अखिल भारत सर्व सेवा संघ एक पंजीकृत सोसायटी है।

❖ **15 मई, 1960** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने उत्तर रेलवे के लखनऊ डिविजन के इंजीनियर के जरिए भारत के राष्ट्रपति से 2.65 एकड़ जमीन खरीदी। यह खरीददारी एक बिक्री अनुबंध के रूप में हुई, जिसे सक्षम अधिकारी के यहां बाकायदा पंजीकृत कराया गया।

❖ **मार्च 1960** : जयप्रकाश नारायण के सुझाव पर अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने गांधी स्मारक निधि के साथ मिलकर वाराणसी के राजघाट स्थित अपने परिसर में एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। संस्थान का नाम रखा गया **गांधी विद्या संस्थान**।

❖ **24 जनवरी, 1961** : गांधी विद्या संस्थान को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के यहां पंजीकृत कराया गया।

➪का अहसास हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि यह अंतिम वारदात नहीं है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इसका अंत होगा। झूठ की उम्र तब तक ही होती है जब तक सच सामने नहीं आ जाता है; कायरों की उम्र तब तक की ही होती है जब तक साहस आसमान छू नहीं लेता है। बनारस का मामला निचली व सर्वोच्च अदालत, दोनों में है। अदालत ने अपनी कमर सीधी रखी तो यह सत्ता वहीं पिट जाएगी। अदालत ने संविधान के नमक का हक अदा नहीं किया तो लोकतंत्र की अंतिम अदालत में भी हम खड़े रहेंगे और जनता से न्याय मांगेंगे। परिसर गया; मकानात भी ढहाए गये; हमारे कार्यकर्ताओं व हमारे बच्चों का मनोबल कमजोर होगा; बड़ी आर्थिक मुश्किलों के बावजूद प्रकाशित किया गांधी–साहित्य बरबाद किया गया है; जनता के पैसों की असीम बरबादी कर हमारे खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी की गई, झूठ व अपमान की आंधी बहाई गई; लेकिन हम खड़े हैं। गांधी के साथ खड़े होने की यह कम–से–कम कीमत है। वे कहते हैं : अपनी आस्था के बल पर खड़े रहो ! दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन पर जिस आदमी को ट्रेन से उतार फेंका गया था उसने साम्राज्यवाद–उपनिवेशवाद को जड़ से उखाड़ फेंका; बनारस में जिसे परिसर से बाहर फेंका गया है वह किसे, कहां से उखाड़ कर, कहां फेंकता है यह भी जमाना देखेगा, हम देखेंगे।

❖ **26–27 जनवरी, 1961** : निर्णय हुआ कि गांधी विद्या संस्थान के लिए भवन का निर्माण गांधी स्मारक निधि करेगा।

❖ **19 मई, 1961** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने उत्तर रेलवे, लखनऊ के डिविजनल इंजीनियर के जरिए भारत के राष्ट्रपति से 1.12 एकड़ जमीन एक बिक्री अनुबंध के आधार पर खरीदी और सक्षम प्राधिकारी के यहां उसका बाकायदा पंजीकरण कराया गया।

❖ **28 नवंबर, 1963** : सिर्फ गांधी विद्या संस्थान के इस्तेमाल के लिए उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि को कुल 2,382 वर्ग गज के दो भूखंड (पहला 1,453.78 वर्ग गज और दूसरा 929 वर्ग गज) एक रुपये वार्षिक किराये पर 30 साल के लिए पट्टा किए गए। पट्टे में लिखा गया कि यदि पट्टाधारक गांधी विद्या संस्थान कहीं और स्थानांतरित हो जाता है, या अपना संचालन बंद कर देता है तो पट्टे पर दी गई जमीन अपने आप पट्टा लिखने वाले अखिल भारत सर्व सेवा संघ की हो जाएगी।

❖ **20 मई, 1970** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने उत्तर रेलवे, लखनऊ के डिविजनल इंजीनियर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से 2.99 एकड़ जमीन बिक्री अनुबंध के जरिए खरीदी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकृत कराया गया।

❖ **1980 के दशक का प्रारंभ** : समाज विज्ञान में शोध को समर्थन देने और आर्थिक मदद देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने संस्थान के पुस्तकालय भवन के विस्तार के लिए तीन लाख रुपये का योगदान दिया।

❖ **2002** : वाराणसी के सहायक पंजीयक (फर्म, सोसायटी और चिट) ने सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत, अतिरिक्त जिला जज के यहां आवेदन संख्या 243 दायर कर संस्थान को भंग करने की मांग की। कारण में बताया गया कि संस्थान का संचालन बंद हो गया है। जबकि तथ्य यह है कि अखिल भारत सर्व सेवा संघ और उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष गांधी विद्या संस्थान के पदेन सदस्य थे, फिर भी उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। जबकि वे अनिवार्य पक्षकार थे।

❖ **29 जून, 2003** : वाराणसी के जिलाधिकारी चंद्रभानु ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (नियोजन) को पत्र संख्या 1043(742) में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें लिखी :

"भूमि की मालकियत स्थिति : गांधी विद्या संस्थान, राजघाट, वाराणसी की जमीन प्रबंधन बोर्ड के सदस्य संदीप पांडेय के 23 मई, 2003 के लिखे एक पत्र के जरिए सर्व सेवा संघ की संपत्ति घोषित की गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने इसकी छानबीन की है।

राजस्व विभाग के अनुसार, गांधी विद्या संस्थान गांव किलाकोहना, परगना देहात, अमानत, तहसील सदर के खाता संख्या 33, ए.नं. 8एम और 9एम में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2.134 हेक्टेयर है। यह जमीन नॉन–जेडए के तहत जम्मान–14 की है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ का नाम इसके स्वामी के रूप में दर्ज है। डिप्टी कलेक्टर (सदर) से प्राप्त रपट और स्थान के नक्शे की छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ नत्थी की जा रही है।"

दूसरा चरण : 2007–2022

❖ **28 मई, 2007** : अतिरिक्त जिला जज ने गांधी विद्या संस्थान को भंग करने का आदेश दिया और 45 दिनों के भीतर एक प्रबंधन समिति गठित करने का उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सचिव को एक अतिरिक्त आदेश दिया, ताकि अध्ययन कार्य प्रभावित न हो।

❖ **2007** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने अतिरिक्त जिला जज के 28 मई, 2007 के आदेश को रद्द करने की मांग के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 29975 दाखिल की।

तीसरा चरण : जनवरी 2023 से जारी

❖ **जनवरी 2023** : वाराणसी जिले में सदर तहसील के देहात अमानत परगना स्थित किलाकोहना गांव के निवासी मोइनुद्दीन का इस मामले में प्रवेश। मोइनुद्दीन ने विभिन्न अधिकारियों के यहां कई आवेदन सौंपे, जिसमें से एक ओवदन उन्होंने वाराणसी जिले में वाराणसी सर्कल के डिप्टी कलेक्टर के यहां भी 16 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के तहत दिए। आवेदन में कहा गया था कि जमीन का एक खास टुक़ड़ा गलत तरीके से अखिल भारत सर्व सेवा संघ के खाते में दर्ज हो गया है,

जबकि यह जमीन वास्तव में ईस्ट इंडियन रेलवे की थी। यह आवेदन वाराणसी सदर तहसीलदार के पास भेज दिया गया और मामले की जांच कर रपट देने को कहा गया।

❖ **7 जनवरी, 2023** : तहसीलदार ने जमीन की मालकियत के बारे में पता करने के लिए उत्तर रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा।

❖ **10 अप्रैल, 2023** : उत्तर रेलवे ने तहसीलदार को दिए अपने जवाब में जमीन की मालकियत का दावा किया।

❖ **16 मई, 2023** : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 की रिट याचिका संख्या 29975 पर अपना फैसला सुनाया :

"उपरोक्त के आलोक में इस अदालत का मानना है कि कथित संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित विवाद को हल किए जाने की जरूरत है। यदि पाया जाता है कि याचिकाकर्ता कथित संपत्ति के असली मालिक हैं तो संपत्ति पर कब्जा याचिकाकर्ता को वापस दे दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सक्षम अधिकारी विविध दस्तावेजों की जांच करें, उस पट्टा अनुबंध की भी, जो याचिकाकर्ता नं. 2 और प्रतिवादी नं. 6 के बीच हुआ था। यदि पाया जाता है कि याचिकाकर्ता संपत्ति का मालिक है तो उसका कब्जा याचिकाकर्ता को वापस दे दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह दो महीने के भीतर प्रासंगिक अभिलेखों की जांच कर संपत्ति के स्वामित्व पर अपना निष्कर्ष दें। और इस आदेश की एक सत्यापित प्रति विधि अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और एक तर्कसंगत व स्पष्ट आदेश पारित करें।"

❖ **31 मई, 2023** : यह स्पष्ट तौर पर कानफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। सरकार इस मामले में एक पक्षकार थी, और उसी के नुमाइंदे जिलाधिकारी को फैसला करने का अधिकार दे दिया गया था। इसे देखते हुए सर्व सेवा संघ ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के यहां अपने मालिकाना हक की घोषणा करने के लिए एक दीवानी केस संख्या 522/2023 दाखिल किया : "शासनादेश के माध्यम से घोषित किया जाए कि वादी नीचे आइटम 'ए' में उल्लिखित संपत्ति के दशकों से मालिक हैं और लगातार उस पर उनका कब्जा है। और वादी नं. 1 इस संपत्ति का अकेला मालिक है और उसपर उसका कब्जा है।"

❖ **26 जून, 2023** : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 मई, 2023 के फैसले में दिए गए निर्देश के अनुसार वाराणसी के जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने अपना निर्णय सुनाया, "मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि 15 मई 1960, 09 मई 1961 और 20 मई 1970 के बिक्री अनुबंधों में उल्लिखित जमीन उत्तर रेलवे की है।"

❖ **27 जून, 2023** : उत्तर रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित नोटिस जारी किया :

"आप सभी अतिक्रमणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट/वाराणसी के पत्रांक 1339/रा. सहा.प्रथम/2023, दिनांक 25.06.2023 के अनुक्रम में, 30 जून 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः 09:00 बजे से काशी रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर में, जी.टी. रोड से सटी उत्तर रेलवे की भूमि में, सर्व सेवा संघ द्वारा निर्मित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रेल प्रशासन द्वारा की जाएगी।

अतः आप सभी अतिक्रमणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि तत्काल रेल भूमि खाली करें।

आज्ञा से

उत्तर रेलवे शासन

दिनांक 27.06.2023"

❖ **28 जून, 2023** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने जिलाधिकारी के 26 जून, 2023 के आदेश को और उत्तर रेलवे प्रशासन के 27 जून, 2023 के नोटिस को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21078 दायर की।

❖ **3 जुलाई, 2023** : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

❖ **4 जुलाई, 2023** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन जुलाई, 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 14209 दायर की।

❖ **17 जुलाई, 2023** : सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को सुनने से इनकार कर दिया कि, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ

विशेष अनुमति याचिका के लिए हैं और अदालत के समक्ष लंबित सिविल सूट (ओएस नं.522/2023) में आगे के विवाद के गुण–दोष पर इसका कोई असर नहीं होगा।"

❖ **22 जुलाई, 2023 :** रेलवे प्रशासन ने पुलिस की मदद से सभी रहिवासियों से उनके निवासों को, प्रकाशन के भवनों, कार्यालयों को खाली करा दिया और उनके सामान निकाल कर बाहर फेंक दिए और जमीन व भवनों पर जबरन कब्जा कर लिया।

इन सब के क्या मायने हैं ?

यह सच है कि मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में गांधीवादी संस्थाओं का संघर्ष बहुत लंबा होना है। चूंकि उस संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल कानूनी गलियारे में घूम रहा है, लिहाजा कानूनी मुद्दों के मुख्य प्रश्नों और पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो रहे इरादों पर गौर करना आवश्यक है।

तीन प्रमुख कानूनी मुद्दे

पहला कानूनी मुद्दा : संक्षिप्त रूप में उपरोल्लिखित यह मुद्दा कानफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। यह स्थिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 मई, 2023 के फैसले के कारण पैदा हुई। जिस याचिका पर अदालत फैसला कर रही थी, उसमें संस्थान को भंग करने के अतिरिक्त जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त जिला जज का आदेश रद्द नहीं किए जाने की परिस्थिति में याचिका में गांधी विद्या संस्थान के साक्ष्यों और संपत्तियों को **मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन** के संदर्भ में इसके और इसके संस्थापक सर्व सेवा संघ के बीच निपटारे के लिए एक आदेश पारित करने की मांग की गई थी। अब उच्च न्यायालय ने यह जानते हुए कि यह मामला सरकार (भारतीय रेलवे) और एक निजी पक्षकार के बीच संपत्ति के स्वामित्व को लेकर है, सरकार द्वारा नियुक्त एक जिलाधिकारी को पूरे मामले पर निर्णय करने का आदेश दे दिया।

दूसरा कानूनी मुद्दा : सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति के मालिकाना हक के मुकदमे पर निर्णय करने के वाराणसी के सिविल जज की अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावी तरीके से छीन लिया। दोनों संवैधानिक अदालतों के बचाव में उस बात का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कही है :

"यद्यपि निचली अदालत में मूल मुकदमे के साथ दायर इंजक्शन आवेदन पर जोर देने की अनुमति याचिकाकर्ताओं को हमेशा है। और इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणी का जारी कार्यवाही में पक्षों के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा और मुकदमे पर निर्णय उसके गुण–दोष के आधार पर होगा।"

इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है:

"हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ विशेष अनुमति याचिका के लिए हैं और अदालत के समक्ष लंबित सिविल मुकदमे (ओएस नं.522/2023) में आगे के विवाद के गुण–दोष पर इसका कोई असर नहीं होगा।"

दोनों न्यायालयों के प्रति किसी तरह का अनादर रखे बगैर यह हर हाल में कहना होगा कि तीन जुलाई और 17 जुलाई को की गईं इन पवित्र और सार्थक टिप्पणियों की व्यावहारिक रूप से तब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, जब उत्तर रेलवे के उस नोटिस पर स्थगन आदेश नहीं दिया गया, जिसमें 30 जून, 2023 को सुबह नौ बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी गई थी।

सच यह है कि इमारत और जमीन पर 22 जुलाई, 2023 को कब्जा बलात किया गया। इस बात की पूरी संभावना है कि निचली दिवानी अदालत से कोई कार्रवाई किए जाने से पहले ही इमारतें ध्वस्त कर दी जाएं । **(उत्तर रेलवे ने पुलिस की मदद से 12 अगस्त, 2023 को सर्व सेवा संघ भवनों को ध्वस्त कर दिया–सं.)** । परिसर खाली कराए जाने के दौरान पुलिस बल ने जिस निर्ममता के साथ भारी संख्या में अनमोल किताबों और दस्तावेजों को कचरे की तरह निकाल फेंका, वह अपूरणीय क्षति हुई है।

तीसरा कानूनी मुद्दा तीन बिक्री अनुबंधों की शुद्धता, वैधता, और वैधानिकता के संबध में साक्ष्य के दायित्व से जुड़ा हुआ है। सभी तीनों बिक्री अनुबंध उत्तर रेलवे, लखनऊ के डिविजनल इंजीनियर के जरिए भारत संघ के राष्ट्रपति और सर्व सेवा संघ के बीच किए गए हैं, और उचित प्राधिकारियों के यहां बाकायदा पंजीकृत हैं।

वाराणसी के जिलाधिकारी का 26 जून, 2023 का

ि ंयि पढ़ना अपने आप में मजेदार है। इस आदेश में दर्ज उत्तर रेलवे की पहली आपत्ति यह है कि "बिक्री अनुबंध पर सिर्फ डिविजनल इंजीनियर उत्तर रेलवे, लखनऊ के पद का उल्लेख है, उनका नाम नहीं लिखा है।"

यह सरासर झूठ है, क्योंकि 15 मई, 1960 की तिथि वाले बिक्री अनुबंध के पृष्ठ संख्या दो के दूसरी तरफ एक नोट में कहा गया है, "स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि यह अनुबंध श्री जी.सी. बनर्जी, डिविजनल इंजीनियर, उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा अपनी आधिकारिक हैसियत से किया गया है। उनकी उपस्थिति और उनका हस्ताक्षर दस्तावेज पर दर्ज है। इस तरह इसे पंजीकरण के लिए स्वीकार किया गया।" यानी डिविजनल इंजीनियर का नाम कोई रहस्य नहीं है।

यह भी गौर करने लायक है कि बिक्री अनुबंध पर डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, उत्तर रेलवे, लखनऊ का भी हस्ताक्षर हर पृष्ठ पर उनकी मुंहर के साथ है। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट (आज का मंडल रेल प्रबंधक) रेल प्रणाली में डिविजनल इंजीनियर से वरिष्ठ होता है।

जिलाधिकारी के 26 जून, 2023 के आदेश में दर्ज उत्तर रेलवे की कुछ अन्य आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

- ❖ भारतीय रेलवे की ऐसी कभी कोई नीति नहीं रही है कि जमीन किसी निजी संस्था या व्यक्ति को बेची जाए।
- ❖ रेल विभाग में मुख्य अभियंता के पास लाइसेंस देने और पट्टा अनुबंध लिखने का अधिकार होता है। डिविजनल इंजीनियर के पास यह अधिकार नहीं होता है।
- ❖ चूंकि डिविजनल इंजीनियर के पास बिक्री का अधिकार नहीं है और रेलवे की जमीन बेचने का डिविजनल इंजीनियर को अधिकार देने वाला कोई अधिकार पत्र पेश नहीं किया गया है, लिहाजा इन तीनों बिक्री अनुबंधों की वैधानिकता सवालों के घेरे में है और ये बिक्री अनुबंध कूटरचित हैं।

चकित करने वाली बात यह कि उपरोक्त आपत्तियां सुनने के बाद जिलाधिकारी ने अखिल भारत सर्व सेवा संघ से इस बात के पक्ष में प्रमाण पेश करने को कहा कि डिविजनल इंजीनियर के पास रेल नियमों के तहत बिक्री अनुबंध करने के लिए जरूरी अधिकार था। जिलाधिकारी ने कहा : "संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले का निपटारा करने के लिए अखिल भारत सर्व सेवा संघ से निम्नलिखित दो बिंदुओं पर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया:

- ❖ क्या रेलवे द्वारा रेलवे की कथित जमीन बेचने के बारे में कोई पत्र या आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ क्या डिविजनल इंजीनियर उत्तर रेलवे द्वारा किए गए 15.05.1960, 09.05.1961 और 20.05.1970 तिथियों वाले बिक्री अनुबंधों में उल्लिखित संपत्ति को बेचने के लिए उन्हें अधिकृत करने संबंधित कोई पत्र या अधिसूचना रेलवे की तरफ से जारी की गई थी?"

चकित करने वाली बात यह भी कि इस विवाद में उत्तर रेलवे के खुद एक पक्षकार होने के बावजूद विवाद में शामिल दूसरे पक्ष से रेलवे द्वारा की गई कार्रवाइयों का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया!

प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व दूसरों पर डालने के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं :

"रेलवे द्वारा मुक्त की गई कथित भूमि के संबंध में रेलवे कार्य नियमावली के पैराग्राफ 804 रेल भूमि त्याग के क्रम में, और भारतीय रेल संहिता के अध्याय 10 के बिंदु संख्या 1014 स्वीकृति का अधिकार के क्रम में अखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा रेलवे बोर्ड के किसी संदर्भ से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। सर्व सेवा संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम की धारा 88 इस मामले में अप्रासंगिक हैं। अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने न तो उल्लिखित संपत्ति की बिक्री के लिए रेलवे द्वारा जारी कोई पत्र या अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराई, और न बिक्री अनुबंध करने के लिए डिविजनल इंजीनियर के पक्ष में रेलवे की तरफ से जारी कोई अधिकार पत्र या अधिसूचना ही उपलब्ध कराई। इस तरह याचिकाकर्ता अखिल भारत सर्व सेवा संघ कथित रूप से खरीदी गई संपत्ति पर अपना मालिकाना हक साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ 1960, 1961 और 1970 के बिक्री पत्रों की वैधानिकता सत्यापित करने के लिए कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाया है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि 15.05.1960, 09.05.1961 और 20.05.1970 की तिथियों वाले बिक्री अनुबंधों में उल्लिखित भूमि उत्तर रेलवे की है।"

छिपे मकसद का सवाल

इस कार्रवाई के पीछे के मकसद का अनुमान लगाने के क्रम में कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर करना आवश्यक है।

घटनाक्रम क्या कहता है : जमीन बिक्री अनुबंध के जरिए ली गई और उसकी कीमत सरकारी खजाने में 1960, 1961 और 1970 में भुगतान की गई (प्रत्येक बिक्री अनुबंध पर ट्रेजरी चालान नंबर और तिथि दर्ज है)।

30 सालों तक सबकुछ ठीक था। उसके बादः

❖ 2002 में सहायक सोसायटीज रजिस्ट्रार ने कुछ कार्रवाई शुरू की।

❖ कार्रवाई पांच वर्षों तक सुप्तावस्था में पड़ी रही। उसके बाद 2007 में अतिरिक्त जिला जज ने एक फैसला दिया।

❖ अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने अतिरिक्त जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की।

❖ 13 सालों तक उस अपील पर कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद अचानक अज्ञात मोइनुद्दीन नामक एक व्यक्ति जनवरी 2023 में मामले में प्रवेश करता है और उसके बाद जिला प्रशासन, उत्तर रेलवे, यहां तक कि न्यायपालिका की तरफ से भी हड़बड़ी में कार्रवाई शुरू होती है।

क्या जनवरी 2023 से ठीक पहले के महीनों या सालों में ऐसा कुछ हुआ, जिसके कारण इस हड़बड़ी में कार्रवाई शुरू हुई?

आखिर अभी ही क्यों ? इसका संकेत दस्तावेजों में मिलता है !

रेलवे की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में 13 जुलाई, 2023 को दाखिल एक हलफनामे के पैराग्राफ 4 से 10 में, जो पांच पृष्ठों (4–8) में हैं, उस परियोजना का विवरण है, जिसमें याचिकाकर्ता की कथित जमीन पड़ती है। इन पैराग्राफ्स में वाराणसी के पुरातन और धार्मिक महत्व की व्याख्या करने के बाद वाराणसी (काशी रेलवे स्टेशन) में इंटर–मोडल स्टेशन के निर्माण की मेगा परियोजना के बारे में कुछ विवरण दिये गये हैं। इसके तहत एक नई अवसंरचना खड़ी करने की योजना है, जो रेल नेटवर्क के अतिरिक्त सड़क और जल मार्ग के एक द्वार के रूप में काम करेगी।

हलफनामे में हालांकि दो उप–परियोजनाओं का जिक्र है – यात्रियों और शहर के निवासियों के लिए आधुनिक, अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काशी रेलवे स्टेशन का उन्नयन और काशी यार्ड का विस्तार (इसमें रेल पटरियों और प्लेटफार्म का विस्तार शामिल है, ताकि अधिक रेलगाड़ियों और यात्रियों को समाहित किया जा सके और उनके लिए जरूरी सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध हो)। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं होता है।

इंटरनेट पर खोजबीन करने से दो रपटें सामने आती हैं –एक रपट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) की है। दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। दूसरी रपट अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टैंट्स, पीडब्ल्यूसी की है। एनएचएआई/एनएचएलएमएल की रपट के स्लाइड7 में अखिल भारत सर्व सेवा संघ की जमीन स्पष्ट तौर पर प्रस्तावित विकास के संदर्भ दिखाई देती है।

उसी रपट की स्लाइड 10 बताती है कि तीन होटल, जिसमें एक लक्जरी होटल, एक होटल प्लाजा, और एक बहुमंजिली वाणिज्यिक इमारत भी इंटर–मोडल स्टेशन काशी के मास्टर प्लान का हिस्सा हैं।

इस रपट में अखिल भारत सर्व सेवा संघ का दो जगहों पर जिक्र है। स्लाइड 14 कहती है, "सर्व सेवा संघ, मठ श्री निवास भगवानजी और निजी जमीन के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी" और स्लाइड 19 कहती है "राज्य सरकार/वीडीए सर्व सेवा संघ की 1.3 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेंगे"।

इस रपट में महत्वपूर्ण बात इसकी तिथि है – 30 जुलाई, 2022। यहीं इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ कि जनवरी 2023 से ठीक पहले के महीनों या सालों में ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण हड़बड़ी में कार्रवाई शुरू हुई?

इस बात का अनुमान लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि जब अखिल भारत सर्व सेवा संघ की जमीन का अधिग्रहण 30 जुलाई, 2022 या उससे पहले करने की जरूरत सामने आई तो प्रशासन इस आकलन पर क्यों पहुंचा :

❖ गांधीवादी लोग किसी भी कीमत पर जमीन बेचने को तैयार नहीं होंगे।

स्मृति में बसे हैं गांधी

ध्रुव शुल्क

जब टूटती है गांधी की प्रतिमा
टूटकर बिखरता है उसी समय
राम का घर
भरभराकर गिरता है उसी समय
रहीम का घर
दरकती है उसी समय
बुद्ध की प्रतिमा
झरते हैं ईसा के आंसू उसी समय
कृष्ण देखते हैं आश्चर्य से
कामनाओं के ज्वार में आसक्त
देह की नौका खे रही विवश पतवारें
स्मृतिभ्रंश से नष्ट होता जीवन
जब जीवन से टूटकर
बिखरने लगेगी देह
कैसे बचे रह पायेंगे
जीते–जी क्या कह पाये हैं
जो मृत्यु के बाद भी सुनाई देता रहे
क्या कर पाये हैं मृत्यु से पहले
जो बचा रहे मृत्यु के बाद जीवन में
क्यों नहीं रह पाते
सबकी स्मृति में
अपने न होने के बाद
स्मृति तो नहीं मरने देती किसी को !

❖ और वे देश में लागू मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध करेंगे, जिससे विलंब होगा और अनिश्चितता पैदा होगी।

इसलिए दूसरे तरीकों से भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया गया।

कंसल्टैंट्स पीडब्ल्यूसी की रपट में एनएचएआई/एनएचएलएमएल की रपट में मौजूद कई बातें दोहराई गई हैं। लेकिन इसमें दो नए मुद्दों का भी खुलासा होता है, जो यद्यपि अखिल भारत सर्व सेवा संघ के मामले से संबंधित नहीं है, मगर एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पीडब्ल्यूसी रपट की स्लाइड 13 में कहा गया है :

"प्रस्तावित स्थान कछुआ वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। इस अभयारण्य के संरक्षित 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर परियोजना के विकास के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से वन्यजीव मंजूरी लेने की जरूरत है।"

रपट की स्लाइड 15 कहती है :

"परियोजना स्थल, राजघाट पुरातत्व स्थल से सटा हुआ है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन है। विरासत स्थल की सीमा से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, और यह निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके कारण उपलब्ध जमीन पर इंटर–मोडल स्टेशन के विकास के क्रम में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

100 मीटर से 300 मीटर तक का क्षेत्रफल विनियमित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विनियमित क्षेत्र में निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से मंजूरी लेने की जरूरत है, जिसमें लगभग 3–4 महीने लगते हैं।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जो तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है, वह निम्नलिखित है:

वाराणसी (काशी रेलवे स्टेशन) में इंटर–मोडल स्टेशन के वाणिज्यिक विकास के लिए अखिल भारत सर्व सेवा संघ के स्वामित्व वाली जमीन का अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी। चूंकि कानूनी तरीके कारगर नहीं होने वाले थे, लिहाजा इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस अनैतिक और अवैधानिक तरीके का इस्तेमाल किया गया।

इस बीच गांधीवादियों का संघर्ष जारी है।

(* जगदीप एस. छोकर आइआइएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था एडीआर के संस्थापक सदस्य हैं)

(सामारः द वायर, अंग्रेजी से सरोज कुमार द्वारा अनूदित)

"मंत्री की कलम से

गांधी, विनोबा, जेपी की ऐतिहासिक विरासत सर्व सेवा संघ, वाराणसी परिसर का ध्वस्तीकरण गैर–कानूनी है। पूंजीवाद की गिरफ्त में सरकार अपना विवेक खो चुकी है। वह महापुरुषों का अपमान करने में संकोच नहीं कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं की परवाह तो है ही नहीं, न्यायालय की अवमानना करने से भी सरकार नहीं चूक रही है। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान उम्मीद बंधी थी, पर प्रशासन की धूर्तता और छल के सामने सब कुछ बौना साबित हुआ। देश में आक्रोश है, लोग नाराज हैं, दुखी हैं। गांधी–विचार की विरासत के ध्वस्तीकरण के विरोध में देशभर में अनेकों स्थलों पर धरने, सत्याग्रह, सभायें आयोजित की जा रही हैं।

गांधी भवन, लखनऊ, उ. प्र. में लगातार प्रदर्शन जारी है। वहां गांधी मूर्ति के सामने लोकतंत्र और अहिंसा में विश्वास रखने वाले सजग नागरिक नियमित एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज को इस काले कृत्य के प्रतिरोध के लिए जागरूक कर रहे हैं।

गांधी भवन, बेंगलुरू में दक्षिण भारत के गांधीजन तथा सामाजिक संगठन के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सत्याग्रह किया। अनेकों सभाएं आयोजित की गयीं, कई जिलों में भी सभाएं लगातार आयोजित की जा रही हैं। स्थानीय समाचार पत्रों में इस संबंध में लेख, खबरें प्रकाशित हो रही हैं।

गांधी भवन, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, मुरैना, इन्दौर, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, उज्जैन आदि अनेक स्थानों पर सर्वोदय के साथियों एवं संस्थाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया में इस संबंध में बड़े स्तर पर कैम्पेन चलाया जा रहा है। युवा सड़क पर आकर, सार्वजनिक स्थानों पर भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं तथा इस संबंध में प्रचार–प्रसार कर रहे हैं।

गांधी भवन–हैदराबाद में तेलंगाना के गांधीजन एकत्रित होकर केन्द्र और राज्य सरकार की इस घृणित कारवाई का खुला विरोध कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में सेवाग्राम, मुंबई, अहमदनगर, अकोला, नागपुर, पुणे, धुले आदि अनेकों स्थानों पर विरोध जारी है। सेवाग्राम में संस्थाओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया था, नवी मुंबई में वरिष्ठ गांधीवादी जे.जे. पारीख ने प्रतिरोध की आवाज को बुलंद किया। केराला सर्वोदय मंडल, गांधी स्मारक निधि द्वारा अनेकों आयोजन किये गये। स्थानीय भाषा में लेख आदि प्रकाशित किये गये।

कोलकाता में भी गांधीजनों ने, प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरुद्ध धरने के आयोजन किये। बांग्ला दैनिक समाचार पत्रों में धरने का पूरा विवरण प्रकाशित करते हुए सरकार की कारवाई की कड़ी निंदा की गई।

ओडिशा में कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, जाजपुर, आदि अनेक स्थानों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। उड़ीया भाषा में लगातार इस विषय पर लेख, पर्चे प्रकाशित किये जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी इस घटना को लेकर लोग सरकार की कड़ी निदा कर रहे हैं।

बिहार में पटना गांधी भवन, मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिलों में भी लोग सामने आकर सर्व सेवा संघ, वाराणसी के ध्वस्तीकरण के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं।

हरियाणा में चण्डीगढ़, पानीपत, समलखा, हिसार आदि अनेकों स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। अलग–अलग केन्द्रों ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किये हैं।

उत्तराखंड के कौसानी, देहरादून, अलकोला आदि अनेक स्थानों पर गांधीजन एकत्रित होकर ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे हैं तथा फासीवादी सत्ता के परिवर्तन का संकल्प भी ले रहे हैं।

छतीसगढ़ में रायपुर, विलासपुर, चंपा आदि अनेक स्थानों पर सर्वोदय के कार्यकर्ता स्थानीय जनता को साथ लेकर गांधीजी की विरासत पर बुलडोजर चलाने की जघनतम हरकत के विरुद्ध जन जागरण कर रहे हैं।

जयपुर, कोटा, जैसलमेर आदि अनेक स्थानों पर वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं। सभाओं के आयोजन भी किये जा रहे हैं।

असम के साथियों ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है तथा इस संबंध में वे जनता से संवाद कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी इस घटना के विरोध में लोगों के प्रदर्शन करने की सूचना है।

इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों से भी विरोध प्रदर्शन के समाचार प्राप्त हो रहे हैं ⇨

प्रकाशन तिथि 28/08/2023
Delhi Postal Regd. No. DL (C)-05/1423/2022-2024
R.No.21841/1971 Posted at L.P.C.- Delhi. R.M.S.Delhi-6 on 1st, 2nd September, 2023

श्रद्धांजलि

करुणा फुटाने का देहावसान

ग्राम सेवा मंडल, गोपुरी, वर्धा की मंत्री करुणा फुटाने का दिनांक 5 अगस्त, 2023 को सुबह छः बजे गोपुरी–निवास में निधन हो गया। आचार्य विनोबाजी ने देश में रचनात्मक आंदोलन को खड़ा करने के लिए जिस प्रकार सर्व सेवा संघ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ठीक उसी प्रकार स्थानीय क्षेत्र को रचनात्मक दिशा में ठोस काम के लिए ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की थी।

गांधी विनोबा विचार की हजारों पुस्तकों का प्रकाशन वहां से होता रहा है। खादी उत्पादन और सरंजाम शोध के लिए भी ग्राम सेवा मंडल को समर्पित संस्था के रूप में देखा जाता है। बाबा विनोबा के जीवन के अनेक प्रारंभिक प्रयोग गोपुरी में ही शुरू हुए थे। स्व. रणजीत भाई देसाई के बाद करुणा बहन उस संस्था को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर रही थीं।

करुणा फुटाने का निधन सर्वोदय–परिवार की एक गहरी और अपूरणीय क्षति है।

सर्वोदय कार्यकर्ता अपने–अपने गांव, शहर में आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

इस प्रदर्शन में गांधी स्मारक निधि की विभिन्न इकाइयां, गांधी शांति प्रतिष्ठान की इकाइयां, सर्व सेवा संघ की प्रादेशिक इकाइयां, राष्ट्रीय युवा संगठन, सेवाग्राम आश्रम, समग्र सेवा संघ, देश भर के गांधी भवन अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न जन संगठनों के वरिष्ठ साथियों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी से देशभर में इस घटना के विरोध में माहौल बन रहा है। – *संजय सिंह*

बिंदेश्वर पाठक नहीं रहे

सुलभ शौचालय के जरिए देश में स्वच्छता की अलख जगाने वाले समाजकर्मी पद्मभूषण बिंदेश्वर पाठक का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 80 साल के थे।

बिंदेश्वर पाठक छुआछूत के घोर विरोधी थे। वह महात्मा गांधी के अछूतोद्धार आंदोलन से गहरे प्रभावित थे। सन् 1969 में जब गांधी जन्मशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तब उन्हें बिहार गांधी स्मारक निधि की ओर से भंगी–मुक्ति अभियान के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने उसी समय अपना जीवन इस मार्ग पर समर्पित करने का संकल्प लिया था। पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और देश–दुनिया में स्वच्छता आंदोलन को नई ऊंचाई प्रदान की।

बिहार में वैशाली जिले के रामपुर बाधेल गांव में जन्मे बिंदेश्वर पाठक को स्वच्छता के क्षेत्र में किये गये उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था।

मनोज त्यागी का देहान्त

संस्थाकुल छपने के लिए हम प्रेस में भेजने ही वाले थे कि एक और दुःखद सूचना मिली। आजादी बचाओ–आन्दोलन के अग्रणी, समर्पित एवं विचारशील 69 वर्षीय कार्यकर्त्ता साथी मनोज त्यागी का दिनांक 26 अगस्त, 2023 को देहांत हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। एक युवा क्रान्तिकारी विचारवान साथी का असमय हमारे बीच से चला जाना अत्यंत पीड़ादायी है।

संस्थाकुल परिवार की तरफ से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना।

स्वामी गांधी स्मारक निधि के लिए राजघाट, नई दिल्ली–110002 से संजय सिंह, गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित व मुद्रित
जैन ऑफसेट प्रिंटर्स, 198/2–1, फारचुन टावर, रमेश मार्केट, नई दिल्ली–110065
सम्पादक – रामचन्द्र राही